

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-10
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100865

दिनांक: 21/07/2026

लोक सूचना

श्री BANWARI MEENA पुत्र श्री SHRI KSHAN MEENA जाति MEENA निवासी KALI HAAT GALI AMBER JAIPUR

श्री KAILASH CHAND MEENA पुत्र श्री SHRI KSHAN MEENA जाति MEENA निवासी VAN TALAB ROAD COLONY AER JAIPUR

श्री RADHA GOVIND MEENA पुत्र श्री KSHAN MEENA जाति MEENA निवासी 40 OPP KHADI BHANDAR AMBER

श्री RAMSINGH MEENA पुत्र श्री SHRI KSHAN MEENA जाति MEENA निवासी SAIWAR JAMWARAMGARH PIPLI KA VAS SAIWAR JAIPUR

श्री RAMSWAROOP MEENA पुत्र श्री KSHAN MEENA जाति MEENA निवासी 185 VAN TAIAB ROAD AMBER JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	साईवाड़, जमवारामगढ़ (जयपुर)	3.) रामसिंह पुत्र किशना हिस्सा 1 / 3 जाति मीणा सा. देह खातेदार 2.) रामस्वरूप पुत्र किशना हिस्सा 1 / 3 जाति मीणा सा. देह खातेदार 1.) कैलाशचन्द पुत्र किशना हिस्सा 1 / 3 जाति मीणा सा. देह खातेदार	386/1	2.27	2.27
2.	साईवाड़, जमवारामगढ़ (जयपुर)	1.) राधागोविन्द पुत्र किशना हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. देह खातेदार	638/386	0.76	0.76
3.	साईवाड़, जमवारामगढ़ (जयपुर)	1.) बनवारी पुत्र किशना हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. देह खातेदार	639/386	0.76	0.76
4.	साईवाड़, जमवारामगढ़	1.) राधागोविन्द पुत्र	643/387	0.23	0.23

	(जयपुर)	किशना हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. देह खातेदार			
5.	साईवाड़, जमवारामगढ़ (जयपुर)	4.) रामसिंह पुत्र किशना हिस्सा 1 / 4 जाति मीणा सा. देह खातेदार 3.) रामस्वरूप पुत्र किशना हिस्सा 1 / 4 जाति मीणा सा. देह खातेदार 1.) कैलाशचन्द पुत्र किशना हिस्सा 1 / 4 जाति मीणा सा. देह खातेदार 2.) बनवारी पुत्र किशना हिस्सा 1 / 4 जाति मीणा सा. देह खातेदार	644/387	0.92	0.92
कुल					4.94

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **21-07-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & JAGRUK TIMES

प्राधिकृत अधिकारी जोन-10
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

